

14/11/2023

कौल वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आज पत्रावली सुनवाई पर ली गई। प्रार्थना पत्र अनुसार कौल वादी ने जाहिर किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण पत्रकारण के मध्य लोक अदालत की भावना से रजिनाम हो गया है जिस कारण वादीगण इस प्रकरण को जिरये विज्ञावत खारिज करवाना चाहते हैं वादी जब्बरसिंह स्वयं उप। अन्य वादीगण श्री और से कौल श्री गणपतलाल चौधरी उप। वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण जिरये विज्ञावत खारिज किया जाता है पत्रावली प्रसल सुमार दैकर नम्बर से कम है।

~~जब्बरसिंह~~

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला पाली) राज.